

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2021

विषय:- चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्सटीच्यूशन्स, परसा, मर्जदावा, पश्चिमी चम्पारण को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में सत्र 2021-24 एवं 2022-25 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/874 दिनांक 26.05.2021 एवं पत्रांक- B/919 दिनांक 08.06.2021 एवं B/1068 दिनांक-29.06.2021 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या-1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्सटीच्यूशन्स, परसा, मर्जदावा, पश्चिमी चम्पारण को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के प्रस्तावित विषयों में सत्र 2021-24 एवं 2022-25 के लिए अस्थायी संबंधन के संबंध में नियमानुसार सहमति प्रदान की है।

क्र० सं०	संकाय	विषय
01	कला संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, संगीत, गणित एवं गृह विज्ञान। (कुल 15 विषयों में)
02	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्ट्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस इन्वॉयरमेन्ट एवं कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषयों में)
03	विज्ञान संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित। (कुल 05 विषयों में)

2. निदेश दिया जाता है कि भविष्य में अगर महाविद्यालय परिनियमानुसार संबंधन के सभी मानकों/शर्तों को पूरा करता है तो परिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी संबंधन से संबंधित अनुशंसा उपलब्ध करायी जाय।

आगामी अनुशंसा के पूर्व इस संबंध में मापदंड पूर्ण करने का निदेश संस्था को दें। साथ ही, परिनियम में अंकित शर्तों/मानकों के पूरा नहीं किये जाने एवं अस्थायी संबंधन की अनुशंसा की स्थिति में इसके औचित्य पर प्रकाश डालें।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 14/07/2021

ज्ञापांक- 14/ए0एफ0-22/2021...-762

प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, चम्पारण ग्रुप ऑफ इन्सटीच्यूशन्स, परसा, मर्जदावा, पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जाय।

सरकार के उप सचिव